

## आवास परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

1. नाम ..... जन्म तिथि ..... मोबाइल नं. ....  
 2. पदनाम ..... विभाग .....  
 3. वर्तमान वेतन बैंड .....  
 4. वर्तमान मूल वेतन .....  
 5. विधि में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि व वेतनमान .....  
 6. उच्च वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वेतनमान सहित .....  
 7. वर्तमान आवास आवंटन का आधार :— मृतक आश्रित/अनुकर्णा का आधार/वरिष्ठता/विभागीय  
 8. 10% के आधार पर आवास परिवर्तन हेतु—अहं श्रेणी में वरिष्ठता के आधार एक बार अनुमन्य होगा।  
 9. वर्तमान आवास सं० ..... श्रेणी ..... सेक्टर .....  
 1. पसन्दगी के आवास (वरियतानुसार) ..... (अंकों में) .....  
 1. .....  
 2. .....  
 3. .....  
 2. जमा की जाने वाली राशि के मूल वेतन की 10% धनराशि रु० .....  
 प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अब तक अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत धनराशि जमा करके आवास परिवर्तन की सुविधा नहीं ली है। मेरी पसन्द का आवास आवंटन होने के समय पर यदि मूल वेतन में घृद्धि हो जाती है तो उसका 10 प्रतिशत को आधार पर अतिरिक्त राशि को आवंटन प्राप्त करने से पूर्ण जमा करूँगा। यदि मेरी पसन्दगी के आवास का आवंटन निलंबन पर भी मेरे द्वारा कब्जा नहीं लिया जाता है तो वर्तमान मूलवेतन का 10 प्रतिशत जमा कर लिया जायेगा।

दिनांक.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/डा. .... की जन्म तिथि ..... वर्तमान वेतन बैंड में वेतन  
 एवं ग्रेड पे ..... उच्च वेतनमान में योगदान तिथि ..... है।  
 सत्यापित

वेतन आहरण अधिकारी

कैशियर

परिसम्मति कार्यालय

प्रार्थी द्वारा बताये गये अपनी पसन्दगी के आवासों की सूचना निम्न है—

- (1) आवास सं० ..... रिक्त नहीं हुआ है/रिक्त हो गया है।
  - (2) आवास सं० ..... रिक्त नहीं हुआ है/रिक्त हो गया है।
  - (3) आवास सं० ..... रिक्त नहीं हुआ है/रिक्त हो गया है।
- अतः आवास सं० ..... श्रेणी ..... सेक्टर ..... से (1) आवास सं० .....  
 सेक्टर ..... से (2) आवास सं० ..... श्रेणी ..... सेक्टर .....  
 आवास सं० ..... श्रेणी ..... सेक्टर ..... में आवास परिवर्तन शुल्क के रु  
 डा०/श्री ..... के पश्च में रु० ..... जमा कर लें।

परिसम्मति अधिकारी

परिसम्मति अधिकारी

रसीद सं० ..... दिनांक ..... के अनुसार जमा किया।

फोरमैन (इस्टेट)

लेखाकार (राजस्व)

अवर अभियन्ता/फोरमैन (इस्टेट)

कृपया आवश्यक पंजिका में अंकित करें।

परिसम्मति अधिकारी